संघ शक्ति सर्वदा   लेखपाल संघ–जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी० संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग (सुजानपुरा, ओमनगर), पुराना बस स्टेशन के सामने, लखनऊ

Web : www.lekhpal.wordpress.com   E-mail : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
: +91-9456225600
पत्राचार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
+91-9415281875
पत्राचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

• उपाध्यक्षगण

दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
–9536500281

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
–9450223683

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
–9451510484

• कोषाध्यक्ष

विनोद कुमार कश्यप
–8923920103

• संगठन मंत्रीगण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
–9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन))
–9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
–9415678593

लेखापरीक्षक

भूपेन्द्र सिंह
–9198895639

पत्रांक ......महामंत्री/68   दिनांक 27/3/17

सेवा में,

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश।

विषयः– बूथ निर्माण के व्यय की दर वास्तविक व्यय के अनुसार निर्धारित किये जाने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत करना है कि लोक सभा/विधान सभा सामान्य/उपनिर्वाचनों के दौरान मतदे स्थलों की व्यवस्था/बूथ निर्माण का कार्य लेखपालों द्वारा कराया जाता है। बूथ निर्माण हेतु बल्ल रस्सी , फर्नीचर आदि सामग्री टैंट हाऊस से किराये पर मंगवाई जाती है। उक्त कार्य कराने हे मजदूर की भी आवश्यकता पडती है। सामान्य रूप से एक बूथ के निर्माण में औसतन 1000 रूप व्यय हो जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में बूथ निर्माण व्यय हेतु 500 रूपये प्रति बूथ निर्धारित कि गया है (शासनादेश सं0 758/xxv-70-1(3)/2009 दिनॉक 11 अप्रैल 2014 प्रमुख सचिव निर्वाच उत्तराखण्ड शासन, निर्वाचन अनुभाग)।

महोदय, संस्था द्वारा दिनॉक 22.11.16 व 10.01.17 को पत्र देकर पूर्व में भी बूथ निर्माण व बढाकर कम से कम 500 रूपये प्रति बूथ करने की मांग की गई थी।

महोदय, आपके कार्यालय के पत्र संख्या 085–11–03–2016–CEO–3 दिनॉक 9 जनवरी 20 के द्वारा मद 08 कार्यालय व्यय के कमांक 3 में पोलिंग स्टेशन के निर्माण एवं छाया पानी आदि रूपये 180 प्रति पोलिंग स्टेशन की दर से धनराशि आवंटित की गई थी। जिसका भुगतान जनपद कर दिया गया किन्तु आपके कार्यालय के पत्र संख्या 167–11–3–2016–CEO–3 दिनॉक 11 2017 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एक वोटिंग कम्पार (गत्ता) की कीमत रूपये 135 निर्धारित है। जिसमें से 50 रूपये धनराशि पोलिंग स्टेशनों के नि एवं छाया पानी आदि हेतु भेजी गई धनराशि में सम्मलित है और 85 रूपये प्रति वोटिंग कम्पा (गत्ता) की दर से अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा रही है।

महोदय, आपके कार्यालय के द्वारा निर्गत उपरोक्त पत्र दिनॉक 11 मार्च 2017 के द्वारा निर्माण एवं छाया पानी आदि हेतु निर्धारित दर रूपये 180 प्रति बूथ में से 50 रूपये वोटिंग कम्पा (गत्ता) की कटौती किया जाना अतार्किक एवं अव्यवहारिक है। 180 रूपये की दर पहले से ही क और उसमें से भी 50 रूपये की कटौती अन्यायपूर्ण है।

अतः महोदय से निवेदन है कि अपने पत्र दिनॉक 11 मार्च 2017 के संदर्भ में संशोधि निर्गत करते हुए बूथ निर्माण एवं छाया पानी आदि हेतु निर्धारित दर रूपये 180 प्रति बूथ में रूपये वोटिंग कम्पार्टमेंट (गत्ता) की कटौती पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिये जाये विधान सभा चुनाव 2017 में बूथ निर्माण एवं छाया पानी आदि हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समा रूपये की दर से पूरा भुगतान कराया जाये।

संस्था आपकी आभारी रहेगी।

भवदीय

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपिः–

1. मा0 प्रमुख सचिव (राजस्व), उ0 प्र0 शासन।
2. मा0 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
प्रदेश महामंत्री